[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–34 एच०एल०ए०

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (vii) की व्याख्या में, "एक कैलेंडर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

"(1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक के हकदार होंगे। समेकित मासिक पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई से वृद्धि की जाएगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

"हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024" दिनांक 16.01.2025 को अधिसूचित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत सेवा की सुनिश्चितता का लाभ उन अतिथि संकाय सदस्यों को प्राप्त है, जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 तक पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अतिथि संकाय सदस्यों द्वारा धारा 3(VII) की व्याख्या में संशोधन की माँग की गई है, जिसमें एक वर्ष की सेवा के दौरान 240 कार्य दिवसों की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय किसी भी एक वर्ष की अवधि के आधार पर करने का प्रावधान हो।

यदि किसी फैकल्टी की नियुक्ति मई से दिसंबर के बीच हुई हो, तो पहले कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे न होने के कारण ऐसे अतिथि संकाय सेवा वर्ष की गणना में शामिल नहीं होते। इसी प्रकार, वर्ष 2024 में भी केवल 227 दिन 1 जनवरी से 15 अगस्त तक ही होते हैं, जिससे यह वर्ष भी अर्हता में नहीं गिना जाता। परिणामस्वरूप, उनकी सेवा आवश्यक 240 दिनों की गणना में नहीं आ पाती।

इसके अलावा विधेयक की धारा 5 के खंड (1) में संशोधन की आवश्यकता है, जो अतिथि संकाय को महँगाई भत्ते का लाभ देने से संबंधित है। वर्तमान प्रावधान की भाषा अस्पष्ट है और उसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। अतः इसे निम्न प्रकार से संशोधित किया जाना उपयुक्त होगा।

"अतिथि संकाय को, सरकार के दिशा--निर्देशों के अनुसार, समेकित मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। यह समेकित मासिक वेतन प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से, महँगाई भत्ते में हुई वृद्धि के अनुसार, बढ़ाया जाएगा।"

अतिथि संकाय की प्रार्थना न्यायसंगत हैं। अतः अतिथि संकाय संघ द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को संज्ञान में लेते हुए, उपरवर्णित दोनों संशोधनों "हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024" में किया जाना उचित होगा।

अतः, ये संशोधन प्रस्तावित हैं।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबंध

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 से उद्धरण

X X X X X

धारा 3 के खंड (vii) व्याख्या : नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी अतिथि संकाय, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होंगे–

(क) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या

(ख) जिसकी सेवा नियत तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो या जिसने त्याग–पत्र दे दिया हो।

धारा 5 के खंड (1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ऐसे पारिश्रमिक के साथ–साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर–चक्रवृद्धि) का हकदार होगा।

X X X X X

12291—H.V.S.—H.G.P., Pkl.